

15-प्रशिक्षण


क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	एन.आई.एफ.एम. फरीदाबाद में वित्तीय प्रबन्धन में पीजी डिप्लोमा हेतु नामांकन।	सं०:-111/xxvii(6)/2012 दिनांक: 30 मार्च, 2012	285-286

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-6
संख्या:-¹¹¹ /xxvii(6)/2012
देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर अधिकारियों को एन.आई.एफ.एम. फरीदाबाद में वित्तीय प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हेतु के लिए नामित किया जाता है। भविष्य में उक्त डिप्लोमा हेतु निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी का नामांकन/आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जायेगा :-


1. केवल ऐसे सरकारी अधिकारियों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जायेंगे, जो 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से सेवारत हों।
2. ऐसे सरकारी अधिकारियों के नामांकन अग्रसारित नहीं किये जायेंगे जिनके विरुद्ध सतर्कता जाँच/प्रशासनाधिकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत नहीं किये जायेंगे, जिनके सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहे हों, अथवा जिन्हें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।
3. इस कोर्स के लिये उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा तथा नियोजन विभाग के अधिकारियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। कोर्स हेतु सीट की उपलब्धता के आधार पर अन्य विभागों के अधिकारियों के नामांकन पर तभी विचार किया जाएगा, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलने की संभावना हो।
4. सम्बन्धित अधिकारी को पी.जी.डी.एम. कोर्स में जाने से पूर्व इस आशय का बाण्ड निष्पादित करना होगा कि कोर्स पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य सरकार में सेवा करेंगे तथा इस अवधि से पहले राजकीय सेवा छोड़ने पर कोर्स के समस्त व्यय का भुगतान करना होगा।


(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- /xxvii(6)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रामेश रस्तोड़ी)
सचिव, वित्त।